लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
061/2022 (GCMS 2022/313)	12.09.2022	28.09.2022

अनवान

गोपाल लाल मालीवाल निवासी मकान नंबर 109, सेक्टर नंबर 01, गांधीनगर, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

अपीलांट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

–:: निर्णय ::–

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 29.07.2022 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./061/2022(सू.अ.)(28.09.2022)/727 दिनांक 12.09.2022 से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को दिनांक 28.09.2022 से पूर्व कमेंट्स/टिप्पणी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 28.09.2022 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

अपीलार्थी ने नियत दिनांक 28.09.2022 को स्वयं उपस्थित होकर जरिये प्रार्थना पत्र अपना पक्ष रखा जो कि इस प्रकार है–

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

यह कि अपीलार्थी के प्रेषित आवेदन पत्र दिनांक 29.07.2022 पर आवेदित सूचना पत्र पर बिन्दु संख्या 01 से चाही गयी वांछित सूचना कार्यालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हो गई हैं। आवेदित सूचना पत्र के बिन्दु संख्या 02 से चाही गयी वांछित सूचना पर कार्यालय तहसीलदार गंगरार द्वारा ग्राम आजोलिया का खेड़ा क्षेत्र से संबंधित सूचना दिनांक 19.09.2022 को पत्र के साथ सलंग्न कर प्रेषित की गयी थी, जिस पर सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगरार के हस्ताक्षर नहीं हैं एवं ग्राम बिलिया (बिल्या) से संबंधित सूचना पूर्णतया अप्राप्त रही हैं। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि तहसील गंगरार क्षेत्र के ग्राम बिलिया (बिल्या) की वांछित सूचना की प्रमाणित प्रतियां निःशुल्क प्रदान किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ ने अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2022/828 दिनांक 20.09.2022 से कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार हैः—

1. यह कि प्रार्थी श्री गोपाल लाल मालीवाल निवासी मकान नंबर 109, सेक्टर नंबर 01, गांधीनगर, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 29.07.2022 को आवेदन प्रस्तुत किया, जो इस कार्यालय में दिनांक 02.08.2022 को प्राप्त होना सही हैं।
2. यह कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र से वांछित सूचना के संबंध में सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार चित्तौड़गढ़ एवं तहसीलदार गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़ को इस कार्यालय के पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2022/300 दिनांक 23.08.2022 से लिखा जाकर प्रार्थी को सूचना से अवगत कराया गया हैं।
3. यह कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र से वांछित सूचना आदिनांक तक अप्राप्त हैं, जो उक्तानुसार संबंधित कार्यालय से यथाशीघ्र प्राप्त कर प्रार्थी को उपलब्ध करवा दी जावेगी।
4. अतः अपील पर जवाब स्वीकार कर अपील निरस्त करने की कृपा करावें।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील व जवाब, लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2022/828 दिनांक 20.09.2022 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का अवलोकन किया। तथ्यों का चिंतन मनन किया। जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना के संबंध में अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2022/300 दिनांक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

23.08.2022 से तहसीलदार चित्तौड़गढ़ एवं तहसीलदार गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़ को लिखा गया था। इस पर कार्यालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा अपीलार्थी के आवेदन के बिन्दु संख्या 01 से वांछित सूचना नियमानुसार तैयार कर अपने पत्र क्रमांक/आरटीआई/2022/65 दिनांक 15.09.2022 से अपीलार्थी को उपलब्ध करा दी गई है। जिसकी पुष्ठि स्वयं अपीलार्थी द्वारा नियत दिनांक को उपस्थित होकर जरिये प्रार्थना पत्र कराई गई हैं।

इसके साथ ही हाजिर अपीलार्थी ने अवगत कराया कि उसके आवेदन के बिन्दु संख्या 02 से तहसील गंगरार क्षेत्र के ग्राम आजोलिया का खेड़ा एवं ग्राम बिलिया (बिल्या) के संबंध में सूचना चाही गयी थी। जिस पर कार्यालय तहसीलदार गंगरार द्वारा केवल ग्राम आजोलिया का खेड़ा से संबंधित सूचना ही उपलब्ध कराई गई। साथ ही उपलब्ध कराई गई सूचना की प्रतियां भी प्रमाणित नहीं थी। अतः चाही गयी समस्त सूचनाओं की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराई जावें। इसके साथ ही लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित कमेण्ट्स से भी स्पष्ट है कि तहसीलदार गंगरार द्वारा आदिनांक तक अपीलार्थी के आवेदन के संबंध में की गई कार्यवाही के बारे में लोक सूचना अधिकारी को अवगत नहीं कराया गया है।

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को उसके आवेदन पत्र दिनांक 29.07.2022 के बिन्दु संख्या 02 से संबंधित सूचना (पूर्ण एवं प्रमाणित प्रतियां) आदिनांक तक प्राप्त नहीं हुई हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उसके आवेदन के बिन्दु संख्या 02 से वांछित सूचना तहसीलदार गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़ से 15 दिवस में प्राप्त कर अपीलार्थी को निःशुल्क उपलब्ध करा पालना से अवगत करावें।

निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **28.09.2022** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

-SD-
(अरविन्द कुमार पोसवाल)(I.A.S.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)